प्रकरण क0 6159/2018 **गुरूमेल सिंग सैनी वि. डायनेमिक इंजीनियर्स**

Witness No. ....01..... for.....परिवादी साक्षी.....Deposition taken…….

The .....30.09.2024....day of .....सोमवार.....Witness's apparent age.....62 वर्ष.....

States on affirmation .....शपथपूर्वक... my name is ...गुरूमेल सिंह सैनी .....

Son of ...स्व0 ..श्री .गुरूचरण सिंह सैनी .. Occupation ....कुछ नहीं.....

Address .... गुरूनानक नगर, श्याम नगर तेलीबांधा मेन रोड, रायपुर छ0ग0.....

साक्षी को शपथ दिलायी जाकर आज दिनांक 30.09.2024 को समय 3:00 बजे परीक्षण प्रारंभ किया गयाः–

नोट– मेरे द्वारा प्रकरण में अपने शपथपत्रीय बयान दिनांक 24.11.2018 की मूल प्रति पेश की है, जिसकी कंडिका 01 से 04 सही हैं।

//मुख्य परीक्षण द्वारा अधिवक्ता श्री एस.एस. ठाकुर वास्ते परिवादी//

01. अभियुक्त क्रमांक 02 के द्वारा अपनी फर्म डायनेमिक इंजीनियर्स जो कि आरोपी क्रमांक 01 है, के नाम से जारी चेक मुझे परिवादी को भुगतान हेतु जिसके प्रदत्त धनादेश दिनांक 20.08.2018 धनादेश क्रमांक 161469 राशि 10,00,000/– रूपये भारतीय स्टेट बैंक शाखा राजकुमार कालेज गेट के सामने जी.ई. रोड रायपुर शाखा की है, जो **प्रदर्श पी– 01** है जिसके अ से अ भाग पर अभियुक्त क्रमांक 02 के हस्ताक्षर है। उक्त धनादेश के अनादरण पश्चात् रिटर्न स्लीप मैमो दिनांक 28.09.2018, की फोटोकापी है, जिसके सरल क्रमांक 05 में चैक अनादरण का कारण **"खाता धारक से सम्पर्क कर पुनः प्रेजेन्ट करे"** है। परिवादी के अधिवक्ता द्वारा विधिक सूचना पत्र दिनांक 08.10.2018 है जो कि फोटो कापी है। रजिस्टर्ड डाक रसीद **प्रदर्श पी– 02** है जो कि पांच मूल प्रति में है।

//प्रतिपरीक्षण द्वारा अधिवक्ता श्री प्रशांत बाजपेयी वास्ते आरोपी क्र. 03,04,05//

02. यह कहना गलत है कि **प्र.पी. 01** प्रश्नाधीन चेक के ए से ए, बी से बी, सी से सी, एवं डी से डी के भागों की इबारत आरोपीगण द्वारा नहीं लिखी गई है। साक्षी का स्वतः कहना है कि **प्र.पी. 01** का चेक अश्वनी महेन्द्रु के कर्मचारी बहादुर के माध्यम से मुझे प्रेषित किया गया था।

03. **प्र.पी. 01** के अ से अ भाग में अश्वनी महेन्द्रु के हस्ताक्षर है। यह कहना सही है कि प्र.पी. 01 के प्रश्नाधीन चेक के अ से अ भाग में डायनेमिक इंजीनियर्स फर्म का उल्लेख है, किन्तु डायनेमिक इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी है, तथा आरोपी क्रमांक 03 अनंत राय महेन्द्रु आरोपिया क्रमांक 04 श्रीमती तनुजा महेन्द्रु तथा आरोपिया क्रमांक 05 सुश्री अंकिता महेन्द्रु डायनेमिक इंजीनियर्स प्राईवेटड लिमिटेड कम्पनी की डायरेक्टर है, इस संबंध में मेरे द्वारा कोई भी

दस्तावेज मेरे द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया है। साक्षी स्वतः कहता है कि आरोपी क्रमांक 02 अश्वनी महेन्द्रु ने मुझे बताया था कि फर्म में मेरे घर के लोग है।

04. यह कहना सही है कि गुरूमेल सिंह सैनी (एच.यू.एफ.)के संबंध में मेरे द्वारा प्रकरण में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। साक्षी का स्वतः कहा है कि गुरूमेल सिंह सैनी (एच.यू.एफ.) के संबंध में मेरे पास कोई भी दस्तावेज नहीं है। साक्षी का कहना है कि गुरूमेल सिंह सैनी (एच.यू.एफ.) के नाम से मेरा बैंक खाता है, जिससे मैनें अश्वनी महेन्द के फर्म को ब्याज में पैसा दिया था। तथा मेरा खाता बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा बैरन बाजार रायपुर में है।

05. यह कहना सही है कि मेरे द्वारा आरोपी क्रमांक 02 अश्वनी महेन्द्रु को ब्याज में दिये गये पैसे के संबंध में कोई भी दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह कहना गलत है कि मैनें अश्वनी महेन्द्रु को ब्याज में कोई भी धनराशि प्रदान नहीं की थी, इस कारण उक्त संबंध में कोई भी दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया है।

06. यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा अभियुक्तगण को प्र.पी. 01 प्रश्नाधीन चेक के अनादरण के संबंध में कोई भी विधिक नोटिस प्र.पी. 02 के डाक रसीद के अनुसार प्रेषित नहीं किया था। यह कहना सही है कि प्र.पी. 02 की पांच डाक रसीदे कम्प्यूटर जनरेटेड है। यह कहना सही है कि प्रकरण में प्रस्तुत नोटिस की छायाप्रति में पंजीकृत सूचना पत्र मय पावती का उल्लेख नहीं है।

07. यह कहना सही है कि प्रकरण में सलंग्न नोटिस तथा प्र.पी. 02 डाक रसीद में उल्लेखित पते की प्राप्ति अभिस्वीकृति एवं अभियुक्तगण के द्वारा हस्ताक्षरित प्राप्ति अभिस्वीकृत प्रकरण मे सलंग्न नहीं है।

08. यह कहना सही है कि प्रकरण में सलंग्न नोटिस के पृष्ठक्रमांक 03 में दिनांक 06.10.2018 का उल्लेख है। साक्षी का स्वतः कहना है कि मेरे द्वारा नोटिस दिनांक 06.10.2018 टाईप कराई गई थी।

09. यह कहना सही है कि प्रकरण में प्रस्तुत बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अनादरण मेमों दिनांकित 28.09.2018 में बैंक के किसी अधिकारी एंव कर्मचारी के हस्ताक्षर एंव पद मुद्रा अंकित नहीं है।

10. यह कहना गलत है कि प्र.पी. 01 प्रश्नाधीन चेक में उल्लेखित फर्म डायनेमिक इंजीनियर्स प्रोपराईटरशीप फर्म थी एवं है। यह कहना गलत है कि डायनेमिक इंजीनियर्स प्रोपराईटरशीप फर्म थी एवं है इस बात की जानकारी है।

11. यह कहना गलत है कि मुझे इस बात की पूर्ण जानकारी थी की प्रकरण में उल्लेखित अभियुक्त क्रमांक 01 डायनेमिक इंजीनियर्स प्रोपराईटरशीप फर्म एम.पी.ढाबा के बाजू, जी. ई.रोड टाटीबंध रायपुर प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी नहीं है, और न ही आरोपी क्रमांक 03, 04, 05 उसके डायरेक्टर है। यह कहना गलत है कि आरोपीगण को झुठा फंसाने के लिये उनके विरूद्व असत्य कथन कर रहा हूं।

12. यह कहना गलत है कि प्र.पी. 01 के कोरे चेक मेरे द्वारा दुरूपयोग किया गया है।

13. यह कहना सही है कि प्रकरण में मेरे द्वारा साहूकारी लाईसेंस के संबंध में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। यह कहना सही है कि मेरे द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत परिवाद पत्र एवं शपथ पत्रीय साक्ष्य अंतर्गत धारा 145 परक्राम्य लिखत अधिनियम में मेरे पास साहूकारी लाईसेंस होने के संबंध में कथन नहीं किया है। साक्षी स्वतः कहता है कि मेरे पास साहूकारी लाईसेंस है।

14. यह कहना गलत है कि मेरे पास कोई साहूकारी लाईसेंस नहीं है इस कारण लाईसेंस के संबंध में कोई भी दस्तावेज मेरे द्वारा पेश नहीं किया गया है एवं इसका उल्लेख परिवाद पत्र एवं शपथ पत्रीय साक्ष्य में मेरे द्वारा नहीं किया गया है।

15. यह कहना सही है कि दिनांक 24.11.2018 से 26.08.2019 के आदेश पत्रिका में मेरे कही भी हस्ताक्षर नहीं है। साक्षी स्वतः कहता है कि दिनांक 05.10.2019 के आदेश पत्रिका में मेरे हस्ताक्षर है। यह कहना सही है कि दिनांक 24.11.2018 को मैं न्यायालय में परिवाद पत्र प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ था। साक्षी स्वतः कहा कि मेरे अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह कहना सही है कि प्रकरण में प्रस्तुत परिवाद पत्र एवं शपथ पत्रीय साक्ष्य में दिनांक 22.11. 2018 उल्लेखित है।

16. यह कहना गलत है कि आज मैं न्यायालय में आरोपीगण को फंसाने के लिये चेक का दुरूपयोग करते हुये अवैध उगाही के उद्देश्य से साक्ष्य देते हुये झुठा प्रकरण पेश किया।

पुनः परीक्षण

17. कुछ नहीं

<u>परीक्षण समाप्त 04:00 तक</u>

साक्षी को बयान पढ़कर सुनाया गया,
सही होना स्वीकार किया ।

मेरे निर्देशानुसार टंकित।

सही/–
(आलोक कुमार अग्रवाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
रायपुर (छ.ग.)

सही/–
(आलोक कुमार अग्रवाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
रायपुर (छ.ग.)

गवाह के हस्ताक्षर .....